निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या :51/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी स्व. श्री कल्याण जाति मीना निवासी ग्राम बस्सी, ढाणी गुढा चक तहसील बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी बस्सी पीठासीन अधिकारी श्री शिवचरण शर्मा (आर.ए.एस.)।
2. श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व. सूरजमल जाति मीना निवासी ग्राम बस्सी, ढाणी चालीसा तहसील बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण।
3. रामसहाय पुत्र छीतर
4. लल्लुराम पुत्र गणेश
5. अशोक पुत्र धन्ना
6. रामकिशन पुत्र धन्ना
7. कुन्दन पुत्र धन्ना
8. भंवर पुत्र लादूराम
9. बुद्वि प्रकाश पुत्र लादूराम (मृतक दौराने वाद)।
10. 9/1 हीरादेवी पत्नी स्व. श्री बुद्विप्रकाश
11. 9/2 सावन उर्फ श्रवण पुत्र स्व. श्री बुद्विप्रकाश
12. 9/3 शीतल मीना पुत्री स्व. श्री बुद्विप्रकाश
13. 9/4.कोमल मीना पुत्री स्व. श्री बुद्विप्रकाश नाबालिग जरिये संरक्षिका माता हीरा देवी पत्नी स्व. श्री बुद्विप्रकाश
14. 9/5. हेमराज उर्फ हेमू पुत्र स्व. श्री बुद्विप्रकाश नाबालिग जरिये संरक्षिका माता हीरा देवी पत्नी स्व. श्री बुद्विप्रकाश

    समस्त जाति मीना निवासी ग्राम गुढा चक, बस्सी ढाणी चालीसा, तहसील, बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण
15. नानगी बेवा पत्नी लादूराम जाति मीना निवासी ग्राम गुढा चक, बस्सी ढाणी चालीसा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ग्रामीण ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 01/2023 व प्रार्थना पत्र संख्या 01/2023 ब उनवानी श्रीमती कमला देवी बनाम रामसहाय व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थित:-

1. श्री आर. एस. शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री सचिन शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।
3. श्री रोशन लाल शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 10.10.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष प्रकरण संख्या 01/2023 व प्रार्थना पत्र संख्या 01/2023 व उनवानी श्रीमती कमला देवी बनाम रामसहाय व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी बस्सी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सचिन शर्मा एवं अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 30.03.2023 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थिया को ग्राम में धमकी दी की हमारी एस डी ओ साहब से बात हो चुकी है अब हम हमारे दावे को शीघ्र ही हमारे अनुसार डिक्री करवा लेंगे क्योंकि हमारी राजनैतिक पहुंच ऊपर तक है। अपने धनबल एवं राजनैतिक पहुचं के कारण पीठासीन पर दबाव बना रखा है जिस कारण वो शीघ्र ही प्रकरण का निस्तारण हमारे पक्ष में कर देंगे। अभी हाल ही अप्रार्थीगण ने पुनः प्रार्थिया को धमकी दी कि अब जल्दी ही तुम्हारा दावा खारिज कर देंगे, हमारी उनसे बात हो चुकी है। तत्पश्चात प्रार्थिया को अप्रार्थीगण ने धमकी दी, जिस पर प्रार्थिया अपने मुकदमें की जानकारी व अपने अधिवक्ता से वार्तालाप करने दिनांक 31.03.2023 को न्यायालय में गई तो उसने अप्रार्थी संख्या 2 के पुत्र को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में से आते देखा प्रार्थिया को चैम्बर के बाहर खडा देखकर अप्रार्थी संख्या 2 के पुत्र ने प्रार्थिया को बताया कि पीठासीन अधिकारी का ग्राम कानोता में ससुराल है एवं उनके सुसराल पक्ष में उनकी अच्छी बैठक है एवं उनका साला उनका घनिष्ठ मित्र है। उस समय अप्रार्थी संख्या 2 के पुत्र के साथ एक अन्य व्यक्ति उपस्थित था। अब यह शीघ्र दावा अपनी इच्छा अनुसार डिक्री करवा लेंगे जिस पर प्रार्थिया ने उक्त घटना की एस डी ओ साहब से जानकारी की उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता मैं इसका शीघ्र निस्तारण करूगां । इस प्रकार प्रार्थिया को अप्रार्थी संख्या 2 की उक्त हरकतों को देख कर प्रार्थिया आश्चर्यचकित हो गई कि ये कैसे हुआ ? जब अप्रार्थिया संख्या 2 का पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 से मिल गये है तो फिर प्रार्थिया को न्याया प्राप्त होना असम्भव है। इस प्रकार प्रार्थिया को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं रही है। ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। प्रार्थिया एक गरीब काश्तकारी महिला जो अपने अधिकारों के लिए माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए लड़ रही है तथा प्रर्थिया के वाध अधीन भूमि के

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अलावा अन्य कोई भूमि या अन्य कोई जीविकोपार्जन का साधन नहीं है। अप्रार्थीगण अपनी गैर कानूनी हरकतों से पीठासीन अधिकारी से सांठगांठ कर अपनी मनमर्जी अनुसार दावा डिक्री करवा लेंगे तो वे अपने वैद्यानिक अधिकारों से वंचित हो जायेगी। ऐसी स्थिति मे न्याय की दृष्टि से प्रार्थिया के मुकदमें को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरणों को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है, अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी बस्सी के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 01/2021 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 01/2021 ब उनवानी श्रीमती कमला देवी बनाम रामसहाय व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को अन्तरण किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 06.11.2023 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय में उपस्थित हो।

9. उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर बस्सी एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 10.10.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner